सहायता अनुदान:- विधि मामलों में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विधि कार्य विभाग विधि क्षेत्र में अनुसंधान में लगे भारतीय विधि संस्थान को सहायता अनुदान स्वीकृत करता है। इस संस्थान के उद्देश्य/ कार्य निम्नलिखित है:-

1. भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई), नयी दिल्ली:

भारतीय विधि संस्थान की स्थापना 1956 में हुई थी जिसका प्रमुख लक्ष्य विधिक अनुसंधान को संचालन और संवर्धन करना है। संघ के नियम में यथानिर्धारित इस संस्थान के लक्ष्य विधि विज्ञान को उन्नत करना, विधि में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना ताकि भारतीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और अन्य जरूरतें पूरी हो सकें, विधि को प्रणालीबद्ध के रूप में बढ़ावा देना, विधिक और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान संचालन और संवर्धन करना, विधिक शिक्षा में सुधार लाना, विधि में निदेश देना, अध्ययनों पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन करना। भारत के माननीय मुख्य न्यायधीश इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत सरकार के कानून मंत्री और भारत के महान्यायवादी इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। शासी परिषद के सदस्य अपने में से एक को तीसरा उपाध्यक्ष चुनते हैं। इस संस्थान की शासी परिषद में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायधीशों, प्रख्यात अधिवक्ताओं, सरकारी अधिकारियों और विधि के प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व होता है। 2004 में भारतीय विधि संस्थान को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। विधि कार्य विभाग आईएलआई के कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों की पूर्ति के लिए इसे आवर्ती सहायता अनुदान जारी करता है।